



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 723) पटना, शुक्रवार, 3 जुलाई 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
30 जून 2026

सं० 15/औ०-03-01/2025-589(15A)/स्वा०—औषधि नियमावली-1945 के नियम-59(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के अधीन राज्यांतर्गत पदस्थापित निम्नांकित सहायक औषधि नियंत्रकों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—मं०मं०-01/ आर०-28/2006-434, दिनांक-01.03.2007 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-587(15A), दिनांक-30.06.2026 द्वारा निर्गत अधिसूचना में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक औषधि नियंत्रक का नाम	गृह जिला	अधिसूचित पदस्थापन कार्यालय	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार आर्या	अरवल	पश्चिमी चम्पारण	गोपालगंज
2	श्री रंजीत कुमार	जहानाबाद	बक्सर	रोहतास

2. संबंधित सहायक औषधि नियंत्रकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने नव-पदस्थापित स्थान/अतिरिक्त प्रभार वाले जिले में अविलम्ब योगदान देना/प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित/अवक्रमित समझे जायेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 723-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>